

विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीएज-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार
अंधरी (पूर्व), मुंबई-400096

टेली नं.022-28294770/28294750, फैक्स नं.-022-28291754

ई-मेल-dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट: www.seepz.gov.in

फा.सं.एस/1-001/एमबीपीपीएल-सेज-सर्टिफिकेशन/आइजीएसटी/2017-18/ 262 दिनांक: 26.6.2018

परिपत्र 262

विषय: आइजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 89 के अनुसार सेज में प्राधिकृत प्रचालन के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति की पुष्टि के लिए प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में ।

जीएसटी के लागू हो जाने के फलस्वरूप सेज विकासकों/यूनिटों द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रापण से संबंधित विधियाँ/नियमों/विनियमों में भी संशोधन किया गया है । इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने विभिन्न अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं:-

2 सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 में यह प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनित अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक दोनों को जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति के संबंध में (क) क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने तथा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के पूर्ण रूप से दर्ज किए जाने के पश्चात वस्तुओं के पूर्तिकर्ता (ख) प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में जिसकी क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई हो, के साक्ष्य के साथ सेवाओं के पूर्तिकर्ता धनवापसी के लिए आवेदन फाइल करेंगे ।

3. प्राधिकृत प्रचालनों से संबंधित वस्तुएं/सेवाएं सेज यूनित अथवा विकासकों द्वारा ही प्राप्त की जाएंगी:-
जीएसटी अधिनियम तथा नियमों के अनुसार वैध बॉन्ड/एल्यूटी के अधीन पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से निर्धारित बीजक । बशर्ते कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति के मामले में बीजक पर यह पृष्ठांकित हो "एकीकृत कर (आइजीएसटी) के भुगतान पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सेज यूनित अथवा सेज विकासक को पूर्ति अथवा बंध-पत्र के अधीन एकीकृत कर (आइजीएसटी) के भुगतान के बिना प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सेज यूनित अथवा सेज विकासक को पूर्ति ।"

4 सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 के अनुसार सेज को वस्तुओं की पूर्ति करने वाले सभी डीटीए पूर्तिकर्ताओं को विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं ।

(क) विवरण जिसमें संख्या तथा तारीख दी गई हो


(ख) वस्तुओं तथा सेवाओं की शून्य दर वाली पूर्तियों के लिए जीएसटी अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथानिर्धारित जीएसटी पंजीकृत पूर्तिकर्ता से वैध बॉन्ड/एल्यूटी के अधीन बीजकों की प्रतिलिपियां । बीजकों पर बॉन्ड/एल्यूटी का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए तथा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सेज में वस्तुओं की प्राप्ति दर्शाते हुए विधिवत इनको पृष्ठांकित किया जाए । सेवाओं के लिए बीजकों पर सेज विकासक यूनित द्वारा विधिवत पृष्ठांकित किया जाए जिनमें सेज विकासक यूनित द्वारा सेवाओं की प्राप्ति का भी उल्लेख किया जाए ।

(ग) आइजीएसटी संदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्तियों के लिए जीएसटी अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथानिर्धारित जीएसटी पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से बीजकों की प्रतियों पर आइजीएसटी संदत्त राशि का उल्लेख किया जाए तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसका विधिवत पृष्ठांकन किया जाए तथा इन पर सेज में वस्तुओं की प्राप्ति का उल्लेख किया जाए। सेवाओं के लिए बीजकों पर सेज विकासक/यूनिट द्वारा विधिवत पृष्ठांकन किया जाए।

घ) सेज विकासक/यूनिट को पूर्ति के अन्य मामलों में (जोकि उनके प्राधिकृत प्रचालनों से संबंधित न हों) पूर्तिकर्ता को ऐसी वस्तुओं / सेवाओं पर आइजीएसटी का प्रभार लेना है।

उपर्युक्त विवरण संलग्न प्रोफॉर्म में (प्रोफॉर्म "जी" वस्तुओं के लिए तथा प्रोफॉर्म "एस" सेवाओं के लिए - स्वप्रमाणित) मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाए। यह भी निदेश दिया जाता है कि विकासक/यूनिट ऐसी सभी आपूर्तियों का रिकॉर्ड सही तरीके से उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए रखें।

यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज, मुंबई

प्रति:

1. सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-सेज
2. सीपज़ रत्न एवं आभूषण विनिर्माता संघ (एसजीजेएमए)
3. सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विनिर्माता संघ (सीमा)
4. सभी यूनिट, सीपज़-सेज
5. आइटी अनुभाग- उपर्युक्त परिपत्र वेबसाइट www.seepz.gov.in पर अपलोड करने के लिए

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ - SPECIAL ECONOMIC ZONE,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
GOVERNMENT OF INDIA,

ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096

Tel.Nos.: 022-28294770/28294750 Fax No.:022-28291754

E-mail: dcseepz-mah@nic.in Website: www.seepz.gov.in

F.No.S/I-001/MBPPL-SEZ-Certification/IGST/2017-18

Date: 26.06.2018

C I R C U L A R 262

Sub: Procedure for endorsing receipt of goods and services for authorised operations in SEZ as per Rule 89 of IGST ACT, 2017 - reg.

With the implementation of G.S.T., the Law/Rules/Regulations related to procurement of goods and services by SEZ Developer / Unit for authorised operations have also been amended. In this regard Ministry of Commerce and Ministry of Finance have issued various Notifications/Circulars.

2. Rule 89 of the CGST Rules,2017 provides that in respect of supplies of goods and services or both to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer, the application for refund shall be filed by the – (a) supplier of goods after such goods have been admitted in full in the Special Economic Zone for authorised operations, as endorsed by the specified officer of the Zone; (b) supplier of services along with such evidence regarding receipt of services for authorised operations as endorsed by the specified officer of the Zone.

3. The goods/services related to authorised operations can be received by the SEZ Unit or developer only:

Under prescribed invoices as per GST Act and Rules from a GST registered supplier under a valid BOND / LUT. Provided also that in the case of the supply of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX (IGST) or

SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX (IGST) "

4. In terms of Rule 89 of the CGST Rules,2017 all the DTA suppliers supplying goods to SEZ should submit the following documents for endorsement by the Specified Officer:

- (a) A statement containing the number and date of invoices.
- (b) For Zero Rated Supplies of goods & services, copies of Invoices as prescribed under GST Act & Rules from a GST registered supplier under a valid BOND/LUT. The details of BOND/LUT should be clearly mentioned on the Invoices and the same should also be duly endorsed by the

Authorised Officer showing the receipt of goods in SEZ. For Services, the Invoices should be duly endorsed by the SEZ Developer/Unit showing the receipt of services by the SEZ Developer/Unit.

- (c) For I GST paid supplies of goods & services, copies of Invoices as prescribed under GST Act & Rules from a GST registered supplier, with I GST paid amount clearly mentioned on the Invoice and duly endorsed by the Authorised Officer showing the receipt of goods in SEZ. For Services, the Invoices should be duly endorsed by the SEZ Developer/Unit.
- (d) In all other cases of supply to SEZ Developer / Unit (not related to their authorised operations) the supplier has to charge I GST on such supplies of Goods/ Services.

The above details should be submitted on monthly basis in the Proformas enclosed (Proforma "G" for goods and Proforma "S" for Services – Self Certified). It is also directed that the Developers/Units should properly maintain the records of all such supplies for verification by proper officer.

This issues with the approval of Development Commissioner.


(V.P.SHUKLA)
JOINT DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ-SEZ, MUMBAI

Encl.: As above.

Copy to:

- 1) All Specified Officers, SEEPZ-SEZ
- 2) SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers' Association(SGJMA),
- 3) Santacruz Electronics Export Manufacturers' Association (SEEMA),
- 4) All units in SEEPZ-SEZ
- 5) IT Section – to host the aforesaid Circular on website www.seepz.gov.in

PROFORMA 'G'

Name of Developer/Unit and address (LOA- wise to be given separately) availing the services :

Goods suppliers' Name with Address	Supplier's GSTIN No.	Invoice/ Bill of Supply Number	Invoice/ Bill of Supply Date	Description of goods -HSN code	LUT/Bond No./Date, if applicable	Taxable value of invoice in Rs.	Amount of IGST	Whether for authorized operations Yes/No	Whether IGST paid or not
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PROFORMA 'S'

Name of Developer/Unit and address (LOA- wise to be given separately) availing the services :

Service Providers Name with Address	Supplier's GSTIN No.	Invoice/ Bill of Supply Number	Invoice/ Bill of Supply Date	Description of Service - (code)	LUT/Bond No./Date if applicable	Taxable value of invoice in Rs.	Amount of IGST	Whether for authorized operations Yes/No	Whether IGST paid or not
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10